I.G.N.O.U. Based

NEERAJ®

E.C.O.-5

व्यापारिक सन्नियम

(Mercantile Law)

By: *Mukesh Magon*, M.B.A., P.G.D.B., M.I.R.

***Question Bank Cum Chapterwise Reference Book Including* Many Solved Question Papers**

NEERAJ PUBLICATIONS
(Publishers of Educational Books)
(An ISO 9001 : 2008 Certified Company)

Sales Office:
1507, 1st Floor, Nai Sarak, Delhi - 6
Ph.: 011-23260329, 45704411, 23244362, 23285501
E-mail: info@neerajignoubooks.com
Website: www.neerajignoubooks.com

MRP ₹ 160/-

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

Sales Office : **1507, 1st Floor, Nai Sarak, Delhi-110006**
E-mail: **info@neerajignoubooks.com**
Website: **www.neerajignoubooks.com**

Reprint Edition with Updation of Sample Question Paper Only | *Typesetting by:* Competent Computers | *Printed at:* Novelty Printer

Notes:

1. *For the best & upto-date study & results, please prefer the recommended textbooks/study material only.*
2. *This book is just a Guide Book/Reference Book published by NEERAJ PUBLICATIONS based on the suggested syllabus by a particular Board /University.*
3. *The information and data etc. given in this Book are from the best of the data arranged by the Author, but for the complete and upto-date information and data etc. see the Govt. of India Publications/textbooks recommended by the Board/University.*
4. *Publisher is not responsible for any omission or error though every care has been taken while preparing, printing, composing and proof reading of the Book. As all the Composing, Printing, Publishing and Proof Reading etc. are done by Human only and chances of Human Error could not be denied. If any reader is not satisfied, then he is requested not to buy this book.*
5. *In case of any dispute whatsoever the maximum anybody can claim against NEERAJ PUBLICATIONS is just for the price of the Book.*
6. *If anyone finds any mistake or error in this Book, he is requested to inform the Publisher, so that the same could be rectified and he would be provided the rectified Book free of cost.*
7. *The number of questions in NEERAJ study materials are indicative of general scope and design of the question paper.*
8. *Question Paper and their answers given in this Book provide you just the approximate pattern of the actual paper and is prepared based on the memory only. However, the actual Question Paper might somewhat vary in its contents, distribution of marks and their level of difficulty.*
9. *Any type of ONLINE Sale/Resale of "NEERAJ BOOKS/NEERAJ IGNOU BOOKS" published by "NEERAJ PUBLICATIONS" on Websites, Web Portals, Online Shopping Sites, like Amazon, Flipkart, Ebay, Snapdeal, etc. is strictly not permitted without prior written permission from NEERAJ PUBLICATIONS. Any such online sale activity by an Individual, Company, Dealer, Bookseller, Book Trader or Distributor will be termed as ILLEGAL SALE of NEERAJ IGNOU BOOKS/NEERAJ BOOKS and will invite legal action against the offenders.*
10. *Subject to Delhi Jurisdiction only.*

© Reserved with the Publishers only.

Spl. Note: *This book or part thereof cannot be translated or reproduced in any form (except for review or criticism) without the written permission of the publishers.*

How to get Books by Post (V.P.P.)?

If you want to Buy NEERAJ IGNOU BOOKS by Post (V.P.P.), then please order your complete requirement at our Website ***www.neerajignoubooks.com****. You may also avail the 'Special Discount Offers' prevailing at that Particular Time (Time of Your Order).*

To have a look at the Details of the Course, Name of the Books, Printed Price & the Cover Pages (Titles) of our NEERAJ IGNOU BOOKS You may Visit/Surf our website ***www.neerajignoubooks.com.***

No Need To Pay In Advance, the Books Shall be Sent to you Through V.P.P. Post Parcel. All The Payment including the Price of the Books & the Postal Charges etc. are to be Paid to the Postman or to your Post Office at the time when You take the Delivery of the Books & they shall Pass the Value of the Goods to us by Charging some extra M.O. Charges.

We usually dispatch the books nearly within 4-5 days after we receive your order and it takes Nearly 5 days in the postal service to reach your Destination (In total it take atleast 10 days).

NEERAJ PUBLICATIONS

(Publishers of Educational Books)

(An ISO 9001 : 2008 Certified Company)

1507, 1st Floor, NAI SARAK, DELHI - 110006

Ph. 011-23260329, 45704411, 23244362, 23285501

E-mail: **info@neerajignoubooks.com** *Website:* **www.neerajignoubooks.com**

CONTENTS

व्यापारिक सन्नियम
(Mercantile Law)

Question Bank – (Previous Year Solved Question Papers)

Question Paper—June, 2019 (Solved)	1-2
Question Paper—June, 2018 (Solved)	1-2
Question Paper—June, 2017 (Solved)	1-2
Question Paper—June, 2016 (Solved)	1-2
Question Paper—June, 2015 (Solved)	1
Question Paper—June, 2014 (Solved)	1
Question Paper—June, 2013 (Solved)	1
Question Paper—June, 2012 (Solved)	1
Question Paper—June, 2011 (Solved)	1
Question Paper—June, 2010 (Solved)	1
Sample Question Paper—1 (Solved)	1-6
Sample Question Paper—2 (Solved)	1-8

S.No.	***Chapterwise Reference Book***	*Page*

अनुबन्ध सम्बन्धी सामान्य कानून–I

1.	अनुबन्ध के आवश्यक तत्त्व	1
2.	प्रस्ताव एवं स्वीकृति	7
3.	पक्षकारों की क्षमता	13
4.	स्वतन्त्र सहमति	17

S.No.	Chapter	Page
	अनुबन्ध सम्बन्धी सामान्य कानून–II	
5.	प्रतिफल तथा उद्देश्य की वैधता	22
6.	व्यर्थ करार तथा सांयोगिक अनुबन्ध	27
7.	अनुबन्ध निष्पादन तथा समाप्ति	32
8.	अनुबन्ध-भंग के उपचार तथा अर्द्ध-अनुबन्ध	37
	विशेष अनुबन्ध	
9.	क्षतिपूर्ति एवं गारंटी	41
10.	निक्षेप एवं गिरवी	47
11.	एजेन्सी	55
12.	माल का परिवहन	64
	साझेदारी	
13.	साझेदारी की परिभाषा एवं पंजीकरण	67
14.	साझेदारों के अधिकार, कर्त्तव्य तथा दायित्व	75
15.	साझेदारी फर्म का विघटन	83
	वस्तु विक्रय	
16.	विक्रय अनुबन्ध की प्रकृति	88
17.	शर्त तथा आश्वासन	92
18.	माल का स्वामित्व हस्तांतरण तथा सुपुर्दगी	96
19.	अदत्त विक्रेता के अधिकार	101

■■

Sample Preview of the Solved Sample Question Papers

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

(June – 2019)

(Solved)

व्यापारिक सन्नियम

समय : 2 घण्टे] *[अधिकतम अंक : 50*

कुल का 70%

नोट : *किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।*

प्रश्न 1. (क) "अनुबन्ध ऐसा समझौता है जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय है।" इस कथन पर टिप्पणी कीजिए एवं वैध अनुबन्ध के अनिवार्य तत्त्वों की संक्षेप में चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-1, पृष्ठ-2, प्रश्न 1(स्वपरख प्रश्न)

(ख) 'अ' ने अपना पुराना मोबाइल फोन 'ब' को रु. 2,000 या रु. 3, 000 में बेचने का करार किया। क्या यह वैध अनुबन्ध है? अपने उत्तर की कारणों सहित पुष्टि कीजिए।

उत्तर–'ब' 'अ' से किसी भी भुगतान का हकदार नहीं है। 'अ' एक अव्यस्क है एवं किसी भी अनुबंध के लिए अयोग्य है।

इसे भी देखें–अ एवं ब के मध्य पुराना मोबाइल खरीद का अनुबंध अवैध है, क्योंकि यह एक वैध प्रस्ताव के अन्तर्गत नहीं है। किसी भी वैध प्रस्ताव की शर्तें निश्चित होनी चाहिए। अनिश्चित शर्तों के आधार पर प्रस्ताव नहीं होता। प्रस्ताव के अभाव में अनुबंध नहीं होता है।

प्रश्न 2. (क) प्रतिफल नहीं, तो अनुबन्ध नहीं' नियम के अपवादों की चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-5, पृष्ठ-24, प्रश्न 3

(ख) 'अ' की आयु 16 वर्ष है। वह इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से स्नातक कर रहा है। वह सर्दियों के दौरान 'ब' के शोरूम में गया और उसने दस फैन्सी कोट उधार पर खरीदे। क्या 'ब', 'अ', से किसी भी भुगतान का हकदार है? अपने उत्तर की कारणों सहित पुष्टि कीजिए।

उत्तर–1. अवयस्क–भारतीय वयस्कता अधिनियम (Indian Maturity Act) 1875 की धारा 3 के अनुसार, भारत में रहने वाले सभी नागरिक 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर वयस्क या बालिग माने जाते हैं परन्तु वह व्यक्ति, जिसकी सम्पत्तियां कोर्ट ऑफ वार्ड्स (Court of Wards) के निरीक्षण में हैं अथवा जिसका संरक्षक न्यायालय (Court) है, 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर वयस्क माना जाता है।

अनुबन्ध की स्थिति–अवयस्क होना अनुबन्ध के लिए हालांकि अयोग्यता है, तो भी अवयस्कों के दृष्टिकोण से यह सुरक्षा है। भारत में किसी अवयस्क द्वारा किए गए अनुबन्ध की स्थिति को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है–

पूर्णत: व्यर्थ अनुबन्ध (Absolutely Void Contract)–भारतीय अनुबन्धन अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत किसी अवयस्क के साथ किया गया किसी भी प्रकार का अनुबन्ध व्यर्थ होता है, क्योंकि अवयस्क अनुबन्ध करने के योग्य नहीं है। दूसरा पक्षकार अवयस्क के खिलाफ वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता, यानी वह अनुबन्ध को प्रवर्तित नहीं करा सकता। परन्तु यदि अनुबन्ध में अवयस्क को लाभ प्राप्त होता है, तो अवयस्क उसको प्रवर्तनीय करवा सकता है।

प्रश्न 3. (क) 'अर्ध अनुबंध' के अर्थ की व्याख्या कीजिए। किन्हीं दो प्रकार के अर्थ अनुबन्धों की विवेचना कीजिए जो कि भारतीय अनुबन्ध अधिनियम में वर्णित हैं।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-8, पृष्ठ-40, प्रश्न 5

(ख) 'प्रति प्रस्ताव' और 'क्रॉस-प्रस्ताव' शब्दों की व्याख्या कीजिए। उदाहरण दीजिए।

उत्तर–क्रॉस ऑफर्स वे ऑफर्स होते हैं, जो पाटियां एक-दूसरे के ऑफर्स की अनदेखी करके एक-दूसरे को प्रदान करती हैं। क्रॉस-प्रस्तावों के मामले में, अदालत एक प्रस्ताव को प्रस्ताव के रूप में और दूसरे को स्वीकृति के रूप में स्वयं इस प्रकार कोई व्याख्या नहीं कर सकती, जैसा कि कोई अनुबंध नहीं है। जबकि काउंटर ऑफर अर्थात प्रति प्रस्ताव, मूल प्रस्ताव की अस्वीकृति है। यह एक नया प्रस्ताव है, जिसे अनुबंध किए जाने से पहले प्रस्तावक द्वारा स्वीकृति की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि X, Y को अपनी कार बेचने के लिए सहमत होता है, तो वह अपनी

Neeraj Publications www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

कार बेचने के लिए Y को एक पत्र लिखता है और Y भी उसी समय X को एक पत्र भेजता है, अपनी कार खरीदने की पेशकश करता है, तो यह क्रॉस प्रस्ताव का उदाहरण है, क्योंकि दोनों X और Y एक दूसरे के प्रस्ताव से अनभिज्ञ है।

प्रश्न 4. (क) 'चलत गारंटी' क्या है? चलत गारंटी का *(i)* खंडन की सूचना द्वारा, और *(ii)* गारंटीकर्ता की मृत्यु के द्वारा, किस प्रकार किया जाता है?

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-9, पृष्ठ-46, प्रश्न 7

(ख) उपनिधान अनुबन्ध के अन्तर्गत 'निक्षेपिती (उपनिहिती)' के कर्त्तव्यों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-10, पृष्ठ-49, प्रश्न 2 (कर्त्तव्य)

प्रश्न 5. 'पुष्टीकरण द्वारा एजेन्सी' क्या है? वैध पुष्टीकरण के अनिवार्य तत्त्वों को बताइए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-11, पृष्ठ-60, प्रश्न 4

प्रश्न 6. माल विक्रय अधिनियम के अनुसार 'अदत्त विक्रेता' कौन है? अदत्त विक्रेता को स्वयं क्रेता के विरुद्ध क्या अधिकार प्राप्त है, विवेचना कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-19, पृष्ठ-103, प्रश्न 1

प्रश्न 7. साझेदारी फर्म का पंजीकरण न कराने के परिणाम बताइए। उन अधिकारों का भी उल्लेख कीजिए जिन पर फर्म का पंजीकरण न कराने पर कोई प्रभाव नहीं होता।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-13, पृष्ठ-72, प्रश्न 6

इसे भी देखें–फर्म का गैर-पंजीकरण हालांकि, निम्न अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है:

- फर्म और/या इसके भागीदारों पर मामला दर्ज करने के लिए तृतीय पक्षों का अधिकार।
- फर्मों में स्थित भागीदार या फर्म, जिनका संघ राज्य में व्यापार का कोई स्थान नहीं है, जिनके लिए यह अधिनियम लागू होता है, अथवा कथित राज्य क्षेत्र में जिनके व्यापार स्थान उन क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां यह अधिनियम लागू नहीं होता है।
- प्रेसिडेंसी कस्बों में कोई मामला या दावा या सैट ऑफ, जो मूल्य में एक सौ रुपए से अधिक होता है, प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट अधिनियम, 1882 (1882 का 15) की धारा 19 में निर्दिष्ट प्रकार का नहीं हैं, अथवा यह प्रेसिडेंसी कस्बों के बाहर प्रोवेंसियल स्मॉल कॉज कोर्ट अधिनियम 1887, (1887 का 9) की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट प्रकार का नहीं है, जो निष्पादन की किसी कार्रवाई या अन्य कार्रवाइयों के अनुषंगी या ऐसे किसी मामले या दावे से उठने वाली कार्रवाई के प्रति नहीं है।
- एक फर्म या एक समाप्त की गई फर्म के खातों के लिए मामला दर्ज कराने के अधिकार का प्रवर्तन या एक समाप्त की गई फर्म की संपत्ति की वसूली का अधिकार या शक्ति।
- प्रेसिडेंसी टाउन शोधन क्षमता अधिनियम, 1909 (1909 का 3), अथवा प्रोविंसियल शोधन क्षमता अधिनियम, 1920 (1920 का 5), एक ऋणग्रस्त भागीदार की संपत्ति की वसूली हेतु।

प्रश्न 8. सार्वजनिक वाहक कौन है? सार्वजनिक वाहक की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सार्वजनिक वाहक कब किसी के माल को ले जाने से मना कर सकता है?

उत्तर–वाहक (यानि माल को ढोने वाला) के दो प्रकार सार्वजनिक तथा निजी वाहक होते हैं–

सार्वजनिक वाहक की परिभाषा वाहक अधिनियम, 1865 में दी गई है। सामान्यतया सार्वजनिक वाहक वे व्यक्ति, फर्म या कम्पनी होते हैं, जो भाड़ा लेकर माल को जल मार्ग या स्थल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं।

सार्वजनिक वाहक की निम्नलिखित विशेषताएं हैं–

सार्वजनिक वाहक भाड़ा लेकर केवल माल ढोता है। वाहक माल को अंतर्देशीय जल मार्ग द्वारा ढोता है। रेल/वायु परिवहन द्वारा माल की ढुलाई के सम्बन्ध में वाहक अधिनियम, 1965 लागू नहीं होता।

सार्वजनिक वाहक को पारिश्रमिक प्राप्ति, माल पर लियन हर्जाने की वसूली, माल के नहीं ढोने आदि का अधिकार होता है, जबकि माल को सुरक्षित पहुंचाना, माल की सुपुर्दगी समय से करना आदि उसकी जिम्मेदारी होती है।

सार्वजनिक वाहक निम्न परिस्थितियों में किसी के माल को ले जाने से मना कर सकता है–

1. यदि उसके वाहन पर अतिरिक्त माल ढोने की जगह न हो।
2. यदि वाहक उस प्रकार का माल नहीं ढोता हो।
3. यदि माल की प्रकृति खतरनाक स्तर की हो और उसे ले जाना सुरक्षित न हो।
4. यदि माल को जहां पहुंचाना है, वह वाहक का सामान्य रास्ता न हो अर्थात् वाहक उस जगह पर न जाता हो।
5. यदि माल ठीक प्रकार से पैक न किया गया हो।
6. यदि किराए की रकम ठीक तरीके से न चुकाई गई हो।
7. यदि वाहक को माल की प्रकृति के बारे में सही ज्ञान न हो।

प्रश्न 9. निम्नलिखित के बीच अन्तर स्पष्ट कीजिए–

(क) व्यर्थ करार तथा व्यर्थनीय अनुबंध

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-1, पृष्ठ-6, प्रश्न 5*(i)*

(ख) कपट तथा मिथ्यावर्णन

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-4, पृष्ठ-19, प्रश्न 4

■■

www.neerajbooks.com

Sample Preview of The Chapter

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

व्यापारिक सन्नियम

(MERCANTILE LAW)

अनुबन्ध सम्बन्धी सामान्य कानून–I

अनुबन्ध के आवश्यक तत्त्व

1

Neeraj Publications www.neerajbooks.com

परिचय

हमें अपने दैनिक एवं व्यापारिक जीवन में अनेक अनुबन्ध करने पड़ते हैं, जैसे–माल का खरीदना, ट्रांसपोर्ट का तय करना, तैयार माल की आपूर्ति इत्यादि। वास्तव में अनुबन्ध ही व्यापार की नींव होते हैं। अत: अनुबन्ध के लिए आवश्यक तत्त्वों की जानकारी रखना आवश्यक हो जाता है।

प्रस्तुत अध्याय में अनुबन्ध के अर्थ एवं अनुबन्ध के लिए आवश्यक मूल तत्त्वों के बारे में जानकारी देने की कोशिश की गई है।

बोध-प्रश्न 1

प्रश्न 1. कानून से क्या तात्पर्य है?

उत्तर–कानून उन सिद्धान्तों व नियमों का समूह होता है जो समाज में मानवीय क्रियाओं को तथा लोगों के एक-दूसरे के प्रति व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। दूसरे शब्दों में, कानून राज्य द्वारा मान्य व लागू किए गए नियम हैं, जो व्यक्ति के आचरण को समाज में न्याय, शान्तिपूर्ण जीवन और सामाजिक सुरक्षा हेतु बनाए जाते हैं।

प्रश्न 2. व्यापारिक सन्नियम को स्रोत बताइए।

उत्तर–भारतीय व्यापारिक सन्नियमों के स्रोतों को निम्नलिखित रूपों में समझा जा सकता है–

1. आंग्ल-व्यापारिक सन्नियम–भारतीय कानून प्रमुखत: आंग्ल कानूनों पर आधारित हैं, जो आंग्ल-व्यापारियों की रीति-प्रथाओं से विकसित हुए हैं। व्यापारिक सन्नियम आज भी इंग्लैंड के कॉमन लॉ का एक प्रमुख हिस्सा हैं और भारतीय न्यायालय किसी विषय सम्बन्धी प्रावधान के स्पष्ट होने की स्थिति में आंग्ल-व्यापारिक सन्नियमों का सहारा लेते हैं।

2. भारतीय परिनियम कानून–संसद द्वारा पारित अधिनियम भारतीय व्यापारिक सन्नियमों का एक प्रमुख स्रोत है।

3. न्यायिक निर्णय–विभिन्न न्यायालयों द्वारा मुकदमों के दिए गए फैसलों को उस मुकदमें के दृष्टांत के रूप में निर्णय देते समय प्रयोग किया जाता है। न्यायालय के पिछले निर्णय मार्गदर्शन का कार्य करते हैं क्योंकि कुछ विशेष मुकदमों में स्पष्ट प्रावधान न होने की स्थिति में न्यायाधीशों द्वारा समन्याय तथा सद्विवेक के नियमों के अनुसार निर्णय दिए जाते हैं।

4. रीति-रिवाज तथा प्रथाएँ–व्यापारिक सन्नियमों का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत व्यापार विशेष के रीति-रिवाज तथा प्रथाएँ होती हैं, जो उस व्यापार विशेष में व्यापारियों के मध्य परस्पर लेन-देन को नियमित करते हैं। लेकिन प्रथाओं द्वारा व्यापार विशेष के नियमन हेतु यह जरूरी है कि ये प्रथाएँ व रीति-रिवाज विख्यात, उचित व निश्चित होने के साथ-साथ कानून के विपरीत हों। भारतीय अनुबन्ध अधिनियम में भी इसे स्वीकार किया गया है। विनियम साध्य विपत्र अधिनियम इसका उदाहण है।

प्रश्न 4. वैधानिक दायित्व से आपका क्या तात्पर्य है?

उत्तर–वैधानिक दायित्व से तात्पर्य है कि किसी कोई भी समझौता अनुबन्ध बनाने के लिए उसे कानून द्वारा प्रवर्तित करवाया

www.neerajbooks.com

जा सके। यदि कोई समझौता कानून द्वारा प्रवर्तनीय कोई कर्त्तव्य उत्पन्न नहीं करता, तो उसे अनुबन्ध नहीं कहा जा सकता। सामाजिक, धार्मिक, नैतिक आदि समझौते कोई वैधानिक दायित्व उत्पन्न नहीं करते। दूसरे शब्दों में, वैधानिक दायित्व वह है जिसमें किसी अनुबन्ध में किसी भी पक्ष द्वारा अपने वचन का पालन न करने पर उसके विरुद्ध न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सकता है।

प्रश्न 5. बताइए कि निम्नलिखित कथन सही हैं या गलत–

(i) कानून ऐसे सिद्धान्तों का समूह है जिसे न्यायपालिका द्वारा प्रवर्तित किया जाता है।

(ii) व्यापारिक सन्नियम केवल व्यापारी वर्ग पर ही लागू होता है।

(iii) प्रथाएँ एवं रीति-रिवाज व्यापारिक सन्नियम का एक महत्त्वपूर्ण स्त्रोत हैं।

(iv) अनुबन्ध कानून समस्त दायित्वों का कानून है।

(v) समस्त अनुबन्ध करार होते हैं।

(vi) मतैक्य के बिना अनुबन्ध हो सकता है।

उत्तर–*(i)* सही, *(ii)* गलत, *(iii)* सही, *(iv)* गलत, *(v)* सही, *(vi)* गलत।

बोध-प्रश्न 2

प्रश्न 1. अनुबन्ध कब व्यर्थनीय होता है?

उत्तर–अनुबन्ध अधिनियम की धारा *2(i)* में व्यर्थनीय अनुबन्ध की व्यवस्था है। किसी अनुबन्ध में अनुबन्ध व्यर्थनीय होता है, जब किसी पक्ष की सहमति बल प्रयोग, अनुचित प्रभाव, मिथ्यावर्णन या कपट या इनमें से किसी कारण से प्रभावित हुई हो।

प्रश्न 2. बताइए कि क्या निम्नलिखित स्थितियों में अनुबन्ध का निर्माण हुआ? उत्तर 'हाँ' या 'नहीं' में दें–

(i) क सार्वजनिक टेलीफोन बूथ में एक रुपये का सिक्का डालता है।

(ii) क मेरठ के लिए डी.टी.सी. बस पर सवार होता है।

(iii) क तस्करी का माल भारत में लाने के लिए ख को नियुक्त करता है।

(iv) क, ख को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करता है।

(v) क सफाई के काम के लिए ख को 20 रुपए में नियुक्त करता है।

उत्तर–*(i)* हाँ, *(ii)* हाँ, *(iii)* नहीं, *(iv)* नहीं, *(v)* हाँ।

प्रश्न 5. निम्नलिखित मामलों में एक या दो शब्दों में अपना निर्णय दीजिए–

(i) क, ख को भोजन के लिए निमन्त्रित करता है। ख निमन्त्रण स्वीकार कर लेता है, परन्तु समय पर नहीं आ पाता। क्या क, ख पर हर्जाने के लिए दावा कर सकता है?

(ii) क, ख से विवाह के लिए सहमत हो जाता है। विवाह से पहले ही ख की मृत्यु हो जाती है। अनुबन्ध का क्या होगा?

(iii) क अपने मित्र ख के विवाह पर एक अंगूठी देने का वचन देता है। वह अंगूठी नहीं नहीं दे पाता। क्या ख अंगूठी माँग सकता है?

(iv) क ने एक स्कूटर ख को यह कह कर बेचा कि यह एकदम नया है। वास्तव में स्कूटर नया नहीं था। क्या ख अनुबन्ध रद्द कर सकता है?

(v) क, ग की पिटाई कर देने के लिए ख को 200 रुपये देने का वचन देता है। ख, ग की पिटाई कर देता है। क्या ख, क से रकम वसूल कर सकता है?

उत्तर–*(i)* नहीं, *(ii)* अनुबन्ध व्यर्थनीय हो जाएगा, *(iii)* नहीं, *(iv)* हाँ, *(v)* नहीं।

स्वपरख प्रश्न

प्रश्न 1. 'अनुबन्ध' से आप क्या समझते हैं? अनुबन्ध के मूल तत्त्वों की संक्षेप में चर्चा कीजिए।

उत्तर–अनुबंध की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अनेक प्रकार से की है। *सालमंड* (Salmond) के शब्दों में–'अनुबन्ध एक ऐसा समझौता है, जो पक्षकारों के मध्य दायित्व उत्पन्न करता है तथा उनकी व्याख्या करता है।' *फ्रेडरिक पोलक* (Frederic Pollock) के विचारानुसार 'प्रत्येक समझौता तथा वचन जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है, अनुबन्ध है।' *सर विलियम एन्सन* (Sir William Anson) ने कहा है, 'अनुबन्ध से अभिप्राय दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य ऐसे समझौते से है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो, और जिसके द्वारा दूसरे पक्षकार या पक्षकारों के विरुद्ध एक या अधिक पक्षकार को कुछ अधिकार किसी कार्य को करने या न करने के लिए मिल जाते हैं।' दी गई परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि अनुबन्ध वह ठहराव या समझौता है जिसके लिए दो या दो से अधिक पक्षकारों का होना आवश्यक है तथा यह समझौता राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए अर्थात् यदि एक ऐसा समझौता है, जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तब वह अनुबन्ध नहीं कहलायेगा। इस प्रकार 'अनुबन्ध एक ऐसा समझौता है, जिसका उद्देश्य दो या दो से अधिक पक्षकारों के मध्य वैधानिक सम्बन्ध उत्पन्न करना है।'

अनुबन्ध के मूल तत्त्व इस प्रकार से हैं–

1. प्रस्ताव एवं स्वीकृति–किसी भी अनुबंध के लिए समझौता होना जरूरी है। समझौते के बिना कोई अनुबन्ध समझौता नहीं बन सकता।' अन्य शब्दों में, एक पक्षकार द्वारा कोई वैधानिक प्रस्ताव

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

किया जाना तथा दूसरे पक्षकार द्वारा उसकी वैध स्वीकृति होनी जरूरी है। समझौते का निर्माण प्रस्ताव एवं उसकी स्वीकृति द्वारा होता है। किसी भी समझौते में वैध अनुबन्ध के समस्त लक्षणों का पूरा होना जरूरी है। यदि किसी समझौते से इस लक्षणों की पूर्ति नहीं होती, तो वह व्यर्थ (void) या व्यर्थनीय (voidable) समझौता कहलाता है।

2. पक्षकारों में अनुबन्ध करने की क्षमता–समझौते के पक्षकारों में अनुबन्ध करने की क्षमता का होना वैध अनुबन्ध की दूसरी आवश्यक शर्त है। वे वयस्क एवं स्वस्थ मस्तिष्क के साथ ही किसी अन्य प्रकार से अनुबन्ध करने के अयोग्य नहीं होने चाहिएं। केवल निम्नलिखित व्यक्ति अनुबन्ध करने हेतु समर्थ माने जाते हैं–(क) वयस्क, (ख) स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति एवं (ग) वह व्यक्ति किसी राजनियम द्वारा अनुबन्ध करने हेतु अयोग्य घोषित न किया गया हो।

3. पक्षकारों की स्वतन्त्र सहमति–अनुबन्ध का एक महत्त्वपूर्ण लक्षण यह है कि समझौते पर पक्षकारों की स्वतन्त्र सहमति आवश्यक है। अन्य शब्दों में, समझौता पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से होना चाहिए। छल (Fraud), उत्पीड़न (Coercion), झूठा वचन (Misrepresentation), अनुचित दबाव (Undue Influence) या भूल (Mistake) से प्रभावित सहमति स्वतंत्र नहीं होती।

4. वैधानिक दायित्व–वैध अनुबन्ध का चौथा लक्षण यह है कि अनुबन्ध के लिए वैधानिक दायित्व होना चाहिए। दायित्व के वैध एवं वास्तविक होने के लिए दायित्व का नकद अथवा वस्तु (kind) के रूप में होना जरूरी नहीं है। निम्नलिखित स्थितियाँ दायित्व को न्यायोचित नहीं ठहरातीं–

(i) यदि वह किसी दूसरे की सम्पत्ति अथवा उसे शारीरिक हानि पहुँचाने वाला है।
(ii) यदि वह कानून द्वारा वर्जित है।
(iii) यदि वह कपटपूर्ण है।
(iv) यदि वह इस प्रकार का है कि वह अनुमति मिलने पर किसी कानूनी व्यवस्था को निष्फल कर देगा।
(v) यदि वह नैतिकता अथवा लोकनीति के विरुद्ध है।

5. कानूनी उद्देश्य–कानूनी दायित्व के अतिरिक्त वैध अनुबन्ध के लिए यह भी जरूरी है कि उसका उद्देश्य भी कानूनी हो। कानूनी उद्देश्य न होने पर समझौता वैध अनुबन्ध नहीं हो सकता। उदाहरणस्वरूप राम मनोहर अपना घर जुआ घर चलाने के लिए किराए पर देने का समझौता करता है, तो उसका यह उद्देश्य अवैधानिक है। अत: यहाँ वैध अनुबन्ध का निर्माण नहीं होगा।

6. कानूनी रूप से व्यर्थ घोषित न हो–समझौता ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे भारतीय अनुबन्ध अधिनियम ने व्यर्थ घोषित किया हो। जो समझौता अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित है, उससे वैध अनुबन्ध का निर्माण नहीं हो सकता। व्यर्थ समझौता वह है जिसे अधिनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं करवाया जा सकता, जैसे–किसी की हत्या करने का समझौता।

7. लिखित, प्रमाणित एवं पंजीकृत होना–यदि किसी अधिनियम द्वारा किसी समझौता विशेष का लिखित, प्रमाणित या पंजीकृत होना जरूरी है तो ऐसे आदेशों का पालन होना चाहिए। उदाहरणस्वरूप, सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम के तहत अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण से सम्बन्धित समझौते का लिखित, प्रमाणित एवं पंजीकृत होना जरूरी है।

प्रश्न 2. समझौता क्या है? समझौते के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए।

उत्तर–भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 2(e) के अनुसार, 'प्रत्येक वचन तथा वचनों का प्रत्येक समूह जिसमें वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं, समझौता कहलाता है।'

लीक (Leake) के विचारानुसार, 'समझौते से आशय ऐसे दो व्यक्तियों के बीच हुई सहमति से है, जो किसी निश्चित किए गए विषय पर एकमत हों।'

(Agreement consists of two persons being of the same intention concerning the matter agreed upon.)

चैटी के अनुसार, 'कोई भी स्वीकृत प्रस्ताव समझौता कहलाता है।'

समझौते के प्रकार (Kinds of Agreements)–समझौते विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनका वर्णन निम्नलिखित है–

1. व्यर्थ समझौता (Void Agreement)–धारा-2(G) के अनुसार, 'कोई समझौता जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, व्यर्थ समझौता कहलाता है।'

(An agreement not enforceable by law is said to be void.)

इस प्रकार के समझौते का वैधानिक दृष्टि से कोई महत्त्व नहीं होता है। इसलिए दोनों पक्षकारों में से किसी को भी उसे प्रवर्तनीय करवाने का अधिकार नहीं है। ऐसा समझौता शुरू से ही बुरा होता है और दोनों पक्षकारों में से किसी को भी कोई भी दायित्व व अधिकार प्रदान नहीं करता। ऐसे समझौते में किसी-न-किसी वैधानिक आवश्यकता की कमी होती है। जब समझौते के दोनों पक्षकार समझौते के लिए किसी आवश्यक तथ्य के सम्बन्ध में गलती पर होते हैं, तो ऐसा समझौता व्यर्थ होता है। उदाहरणस्वरूप, क तथा ख में एक प्लॉट के क्रय-विक्रय के लिए समझौता हुआ, जिसे किसी स्थान विशेष पर बताया गया, लेकिन दोनों पक्षों की जानकारी के बाहर वह प्लॉट पहले ही बिक चुका था।

2. व्यर्थ अनुबन्ध (Void Contract)–जो अनुबन्ध भविष्य में किसी कारण विधि द्वारा अप्रवर्तनीय हो जाता है, हालांकि वह अनुबन्ध के समय प्रवर्तनीय होता है, उसे व्यर्थ अनुबन्ध कहते हैं। अन्य शब्दों में, किसी असंभवतया या वैधानिक परिवर्तन के कारण

Neeraj Publications www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

अनुबन्ध व्यर्थ हो जाता है क्योंकि कोई भी अनुबन्ध आरम्भ से व्यर्थ नहीं हो सकता। क्योंकि यदि ऐसा होता तो वह व्यर्थ समझौता ही रहता तथा कभी अनुबन्ध नहीं बनता। उदाहरणस्वरूप, यदि राम तथा रमेश, जो अलग-अलग देशों से हैं, के बीच किसी अनुबन्ध के होने के बाद दोनों राष्ट्रों में परस्पर युद्ध छिड़ जाता है, तो वह अनुबन्ध व्यर्थ हो जाएगा।

3. व्यर्थनीय समझौता (Voidable Agreement)–धारा-2(i) के अन्तर्गत जब समझौता एक पक्षकार या पक्षकारों की इच्छा पर तो प्रवर्तनीय होता है, परन्तु दूसरे पक्षकार या पक्षकारों की इच्छा पर नहीं, तो यह व्यर्थनीय समझौता कहलाता है। अनुचित प्रभाव, मिथ्या वर्णन, उत्पीड़न या छल-कपट पर आधारित अनुबन्ध व्यर्थनीय होता है। ऐसा अनुबन्ध उस पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय है, जिसकी सहमति इस तरह ली गई है। यह पीड़ित पक्ष (aggreived party) कहलाता है। इसे अनुबन्ध के निष्पादन को रुकवाने का अधिकार है, जबकि पहले पक्षकार को यह अधिकार नहीं है। ऐसा समझौता वैधानिक रहता है। उदाहरणस्वरूप, क अनुचित प्रभाव का प्रयोग करके ख से कम कीमत में मकान खरीदने का अनुबन्ध कर लेता है। ऐसे हालात में अनुबन्ध ख की इच्छा पर व्यर्थनीय है।

व्यर्थ समझौता व्यर्थ अनुबन्ध भी कहलाता है।

4. अप्रवर्तनीय समझौता (Unenforceable Agreement)–अप्रवर्तनीय समझौता वह है जो वैधानिक होते हुए भी कुछ तकनीकी दोषों के कारण न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं करवाया जा सकता, अप्रवर्तनीय समझौता कहलाता है। ऐसे समझौते में कानून दोनों पक्षों के दायित्वों एवं अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है, लेकिन किसी अधिनियम की कोई धारा उसके प्रवर्तन पर रोक लगा देती है। जैसे लिमिटेशन एक्ट (Limitation Act) के अधीन देय तिथि के तीन वर्ष बाद किसी भी ऋण सम्बन्धी अनुबन्ध को प्रवर्तनीय नहीं करवाया जा सकता।

ध्यातव्य है कि कुछ दशाओं में न्यायालय द्वारा भूल सुधार करने की आज्ञा भी प्रदान की जा सकती है और ऐसी स्थिति में अनुबन्ध दोबारा प्रवर्तनीय बन जाता है। उदाहरणस्वरूप, स्टाम्प अधिनियम (Stamp Act) के अधीन अनुबन्ध प्रलेख पर जरूरी स्टाम्प न लगने पर वह अप्रवर्तनीय है, परन्तु न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट दण्ड का भुगतान करने पर दोषी पक्षकार को आवश्यक स्टाम्प लगाने की आज्ञा मिल जाने पर यह अनुबन्ध प्रवर्तनीय हो जाता है।

5. स्पष्ट समझौता (Express Agreement)–जहाँ कोई पक्षकार अपने शब्दों द्वारा मौखिक अथवा लिखित इच्छा प्रकट करता है, तो वह स्पष्ट समझौता कहलाता है। दूसरे शब्दों में, जब प्रस्तावक द्वारा मौखिक या लिखित रूप में अपना प्रस्ताव स्वीकर्त्ता के सामने रखा जाता है और स्वीकृर्त्ता स्पष्ट रूप से मौखिक या लिखित रूप में अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है, तो इसे स्पष्ट समझौता कहा जाता है। उदाहरणस्वरूप, सोहन श्याम से कहता है, 'मैं तुम्हें अपनी घड़ी 300 रुपये में बेचने का प्रस्ताव करता हूँ।' श्याम उत्तर देता है, 'मुझे यह प्रस्ताव स्वीकार है।' क्योंकि यहाँ पर प्रस्ताव एवं स्वीकृति दोनों स्पष्ट हैं। इसलिए यह स्पष्ट समझौता है।

6. गर्भित समझौता (Implied Agreement)–गर्भित समझौता मूक प्रस्ताव एवं स्वीकृति के आधार पर निर्मित समझौता है। गर्भित समझौते में प्रस्ताव एवं स्वीकृति को स्पष्ट शब्दों में (मौखिक या लिखित) व्यक्त नहीं किया जाता है। दोनों या एक केवल पक्षकार के आचरण या व्यवहार से प्रस्ताव एवं स्वीकृति व्यक्त की जाती है।

7. अवैधानिक समझौता (Illegal Agreement)–वे समझौते जो कानून के विरुद्ध होते हैं, उन्हें अवैधानिक करार कहा जाता है। कुछ समझौते अनैतिक होने के कारण अवैध माने जाते हैं। ऐसे समस्त समझौते व्यर्थ होते हैं। ये कानून की सहायता से सम्पन्न नहीं हो सकते।

8. निष्पादित समझौते (Executed Agreement)–जिस समझौता में दोनों पक्षकार अनुबन्ध करते समय ही अपने-अपने वचन (उत्तरादायित्व) को पूरा कर देते हैं, उसे निष्पादित समझौता कहा जाता है।

9. निष्पादित समझौता (Executed Agreement)–जब दोनों पक्षों या एक पक्ष द्वारा समझौते के वचन का पालन नहीं किया जाता, तो ऐसा समझौता निष्पादनीय समझौता कहलाएगा।

निष्पादनीय समझौते दो प्रकार के होते हैं–

(अ) एकपक्षीय समझौता (Unilateral Agreement)–जब समझौते में एक पक्षकार अपने वचन का पालन कर देता है व दूसरे पक्षकार द्वारा अपना वचन पूरा किया जाना शेष रहता है तो वह एकपक्षीय समझौता कहलाता है। इसे एकपक्षीय निष्पादनीय समझौता भी कह सकते हैं।

(ब) द्विपक्षीय समझौता (Bilateral Agreement)–जब दोनों पक्षकारों द्वारा निष्पादन अनुबन्ध में अपने-अपने वचनों का निष्पादन किया जाना शेष रहता है, तो यह द्विपक्षीय समझौता कहलाता है।

प्रश्न 3. 'सब अनुबन्ध समझौते होते हैं, परन्तु सब समझौते अनुबन्ध नहीं होते।' स्पष्ट कीजिए।

उत्तर–यह सच है कि सभी अनुबन्ध समझौते होते हैं, लेकिन सब समझौते अनुबन्ध नहीं होते। इस कथन का विवेचन करने से पूर्व 'समझौता' तथा 'अनुबन्ध' शब्दों का अर्थ भली-भाँति समझ लेना जरूरी है। भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा 2(e) के अन्तर्गत 'प्रत्येक वचन तथा वचनों का समूह, जिसमें वचन परस्पर एक-दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं, समझौता कहलाता है।' यह परिभाषा स्पष्ट करती है कि वचन या वचनों के समूह से 'समझौता' होता है तथा 'वचन' एक-दूसरे के लिए प्रतिफल हाते हैं। *लीक*

www.neerajbooks.com